राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:— श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 40 / 2010
दायरा तिथि 08.07.2010
तारीख फैसला 25.06.2016

वादी—	बनाम:	प्रतिवादीगण—
दिनेशकुमार पुत्र गोमारामजी जाति मीणा निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर		1—गोमाराम पुत्र लालारामजी 2—तलसाराम पुत्र गोमारामजी 3—जवानाराम पुत्र गोमारामजी 4—अशोककुमार पुत्र गोमारामजी 5—महेन्द्रकुमार पुत्र गोमारामजी 6—विमला पुत्री गोमारामजी 7—कमला पुत्री गोमारामजी 8—पुष्पा पुत्री गोमारामजी 9—भगाराम पुत्र चेलाजी 10—कन्हैयालाल पुत्र चेलाजी 11—अमराराम पुत्र चेलाजी 12—रमेशकुमार पुत्र चेलाजी 13—मांगीलाल पुत्र चेलाजी 14—शंकरलाल पुत्र चेलाजी 15—हीरालाल पुत्र चेलाजी 16—सुमटीबाई पुत्री चेलाजी 17—सीताबाई पुत्री चेलाजी 18—हंजादेवी पत्नी चेलाजी 19—नरसाराम पुत्र लालाजी तमाम जाति मीणा निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली 20—फूलचंद पुत्र छोटुलालजी जाति मीणा निवासी बिचली नाथुण तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल निवासी आनन्द इण्डस्ट्रीज पुराना जाखोडा रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली 21—तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट,1955

—: फैसला :—

दिनांक 25.06.2016

उपरोक्त अनवान प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है—

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान मय अधिवक्तागण ने राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर पत्रावली रेकर्ड पर लिया गया। कथित मामले में पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद—विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का वादपत्र प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की पुश्तैनी व संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला—पाली

लगातार—2

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 350 कुल रकबा 11.74 हेक्टर के बारे में वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 08 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं.09 लगाय 18 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं.19 का 1/3 हिस्सा कानूनन होने से इसके आधार पर खातेदार घोषित करते हुए इसी हिस्सा मुजब वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने एवं एक–दुसरे खातेदार के बंट में आयी हुई भूमि कोई भी पक्षकार किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान करावे। वादी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत् 2064–67, मिलान क्षेत्रफल, मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56, खतौनी जोधपुर गवर्नमेंट संवत् 1998, विक्रय–विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 24.06.2010 प्रमाणित प्रतियां व वादी द्वारा सरकार पक्ष को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत किए है।

(2) कि कथित वाद पत्रावली पंजीबद्ध होकर आगामी विधिक कार्यवाही हेतु विचारार्थ रहते आयोजित इस राजस्व लोक अदालत केम्प के दौरान पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत कर संलग्न प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारों के मध्य अंतिम बंटवाडा किए जाने की सहमति जाहिर की है, इस प्रस्तुत राजीनामा को हमने, बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया है। प्रश्नगत् पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र, जवाबदावे व तमाम साक्ष्य दस्तावेजात तथा तस्दीक सुदा राजीनामा में वर्णित इबारत के आधार पर वादपत्र में वर्णित तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त भूमि के बारे में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार व संलग्न प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुरूप पक्षकारों के बंट व हिस्से में आयी भूमि से संबंधित पक्षकारों को खातेदार घोषित करते हुए अंतिम बंटवाडा किए जाने व एक–दुसरा पक्षकार किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निर्णय/डिक्री जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का कथित वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की पुश्तैनी व संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 350 कुल रकबा 11.74 हेक्टर के बारे में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार व संलग्न प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुरूप संबंधित पक्षकारों को खातेदार घोषित करते हुए निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है–

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टर	किस्म भूमि
(1)	गोमाराम पुत्र लालाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	328	0.0100	गै.मु.बेरा
		329	0.0133	गै.मु.सडा
		331/1	0.0190	चा.दो.
		329/2	0.0100	गै.मु.सडा
		333/4	1.6000	चा.सो.जा.सो.
		333/3	0.8000	चा.सो.जा.सो.
		350/5	0.4700	जा.सो.चा.सो.
		350	0.4700	जा.सो.चा.सो.
		334	0.0100	गै.मु.बेरा
		335	0.0400	गै.मु.सडा
		333/8	0.0112	चा.सो.जा.सो.
		350/7	0.0200	जा.सो.चा.सो.
		12	3.4735	—

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टर	किस्म भूमि
(2)	नरसाराम पुत्र लालाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	332/4 331/3 330 331 332 333/2 333/1 350/6	0.0233 0.0290 0.0500 0.3930 0.4370 0.5756 1.3528 0.5000	चा.दो.जा.दो. चा.दो. गै.मु.बेरा चा.दो. चा.दो.जा.दो. चा.सो.जा.सो. चा.सो.जा.सो. जा.सो.चा.सो.
		08	3.3607	—
(3)	भगाराम, कन्हैयालाल, अमराराम, रमेशकुमार, मांगीलाल, शंकरलाल, हीराराम पि. चेलाराम, सुमटीबाई, सीताबाई पुत्रीया चेलाराम, हंजादेवी पत्नी चेलाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	332/1 333 333/6 333/5 350/2 350/4 331/2 332/3	0.2564 0.4920 0.2100 0.4344 0.3000 2.4000 0.0290 0.0233	चा.दो.जा.दो. चा.सो.जा.सो. चा.सो.जा.सो. चा.सो.जा.सो. जा.सो.चा.सो. जा.सो.चा.सो. चा.दो. चा.दो.जा.दो.
		08	4.1451	—
(4)	सांकलाराम पुत्र जेठाराम भील सा. कोलीवाडा खातेदार	350/1	0.16	जा.सो.चा.सो.
		01	0.16	—
(5)	गोमाराम पुत्र लालाराम 1/3 हि. भगाराम, कन्हैयालाल, अमराराम, रमेशकुमार, मांगीलाल, शंकरलाल, हीराराम पि. चेलाराम, सुमटीबाई, सीताबाई पुत्रीया चेलाराम, हंजादेवी पत्नी चेलाराम 1/3 हि. नरसाराम पुत्र लालाराम 1/3 हि. कौम मीणा सा.देह संयुक्त खातेदार (रास्ता हेतु)	329/1 332/2 333/7 331/4 350/3	0.1267 0.1300 0.2340 0.0200 0.0900	गै.मु.सडा चा.दो.जा.दो. चा.सो.जा.सा. चा.दो. जा.सो.चा.सो.
		05	0.6007	—

नोटः– उपरोक्त बंटवाडा बाबत प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न भाग माना जायेगा।

इसके अलावा उपरोक्त अंतिम बंटवाडा अनुसार खातेदार स्वयं अथवा उनका कोई भी प्रतिनिधि एक–दुसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर एवं पटवारी हल्का सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार किए गये अंतिम बंटवाडे व नजरी नक्शे के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान))

Scanned by CamScanner